Demands	Action taken
(4) Supply of uniform to certain new categores, supply of woollen jersey to patrolling khalasies deployed on oil pipelines, increasing chappal allowance from Rs. 35 to Rs. 50 per annum to he employees who were paid this allowance.	These matters are generally discussed by the Port Trust Authorities with the representatives of unions in order to find out solutions through mutual discussions .
(5) Providing promotional avenues to the diploma hoders (cil) to the post of executive Engineers in thera'io of 1:1 with graduate civil engineers.	Government have already issued guidelines on this question and the Ports have been advised to pesolve this issue inaccordance with the guidelines

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलाने के लिए गैर-सरकारी बस चालकों को परमिट दिया जाना

2574. डा० अबरार अहमद : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलाने तथा विभिन्न राज्यों की राजधानियों को परस्पर जोड़ने के लिए गैर सरकारी बस चालकों को राष्ट्रीय परमिट देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसे परमिट कब तक दे दिए जायेंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चलाने के लिए गैर सरकारी बस चालकों को कुछ राष्ट्रीय परमिट पहले ही दिए जा चुके हैं, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार, केवल माल वाहनों को ही राष्ट्रीय परिमिट दिए जाते हैं । जहां तक बसों का संबंध है, राज्य परिवहन प्राधिकरणों को, व्यक्तिगत संपत्ति पर पाबंदियों के अध्यधीन अंतर्राज्यीय और अंत: राज्यीय प्रावधानों के लिए परमिट प्रदान करने का अधिकार दिया गया हैं । इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 88(9) तहत कोई भी प्राइवेट बस आपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट ले सकता है । ऐसे परमिट कितने भी राज्यों के लिए वैध हैं और यह संख्या आवेदक की पसंद के तीन राज्यों से कम नहीं होगी ।

Handing orer of DTC to Delhi Administration

2575. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL :

SHRI SHANTI TYAGI :

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to hand over the Delhi Transport Corporation to the Delhi Administration ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the losses in DTC are mounting day by day ; and

(d) what is the extent to which its losses would come down after handing over the same to Delhi Administration ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) The proposal to hand over Delhi Transport Corporation to Delhi Administration has been deferred.

(b) Does not arise.

(c) and (d) DTC's losses have been increaing on ascount of following factors :—

(1) Uneconomic fare structure of DTC.

(2) Rising costs of labour and material inputs.

(3) Concessions given to students and weaker sections of the society through concessional passes.

(4) Heavy interest burden on the loans advanced etc.

The total accumulated losses as on 31-3-91 is. Rs. 64551-10 lakhs (provisional).

राजमार्गों पर यात्रियों को सुविधायें दिया जाना

2576. श्री ईश दत्त यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्रियों को राज-मार्गों पर कम से कम प्रत्येक 100 किलो मीटर के अन्तराल पर सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से पहले ही दी जा चुकी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश में कोई मार्गस्थ सुविधायें चालू नहीं हुई हैं ।

(ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों को मार्गस्थ सुविधायें सुलभ कराने के प्रयोजनार्थ चुना गया है ।

सरकारी क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत :

(i) एन एच-2 के कानपुर-वाराणसी खंड पर 115 कि० मी० खागा के समीप ।

(ii) एन एच 29 पर गाजीपुर ।

(iii) एन एच 29 पर दोहरी घाट ।

निजी क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत : (जिसके लिए संबंधित पार्टियों को आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं)

(i) गढ़ मुक्तेश्वर से लखनऊ खंड में दिल्ली से 131 कि० मी० एन० एच–24

(ii) सीतापुर की तरफ बरेली से 35 कि० मी०–एन एच-2

(iii) वाराणसी की तरफ इलाहाबाद से 32 कि० मी० एन० एच–2

(iiv) बरेली-रामपुर खंड पर 192.60 कि० मी०, एन एच–24

(v) पूर्वी बनारस 86 मि० मी० एन एच–56

(vi) दिल्ली-गढ रोड से 100 कि० मी० एन एच–24

सड़कों के अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व को निर्धारित करना

2577. श्री ईश दत्त यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़कों के अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व को निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है और यह कार्य किन-किन क्षेत्रों में किया गया है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां इस योजना के अधीन 1991–92 के दौरान निर्माण कार्य किया जा रहा है ?